



दिनांक 10.07.2024

प्रेस विज्ञप्ति 16 / 2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद प्रतापगढ़/थाना कोहंडौर

- 25-25 हजार रुपये के 04 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 09/10.07.2025 को थाना कोहंडौर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विभिन्न स्थानों से 04 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1-विनोद 2-नीतेश कुमार उर्फ मुकुन्द 3-प्रिंस उर्फ छोटू 4-रंजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं जो थाना कोहंडौर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-विनोद निवासी पूरे कुमार सूर्यगढ़ थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।
- 2-नीतेश कुमार उर्फ मुकुन्द निवासी सूर्यगढ़ थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।
- 3-प्रिंस उर्फ छोटू निवासी पूरे कुमार सूर्यगढ़ थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।
- 4-रंजीत कुमार निवासी पूरे कुमार सूर्यगढ़ थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।

कमिश्नरेंट लखनऊ/थाना कृष्णानगर

- 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 10.07.2025 को थाना कृष्णानगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विभिन्न स्थानों से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1-संतोष उर्फ डबलू सहित 2-मनीष उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त संतोष उर्फ डबलू शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद प्रतापगढ़, कमिश्नरेट प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ एवं छत्तीसगढ़ प्रान्त के विभिन्न थानों में लूट, धोखाधड़ी, पॉक्सो एक्ट, अनैतिक व्यापार नि0अधि0 आदि के 06 अभियोग पंजीकृत हैं एवं थाना कृष्णानगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कृष्णानगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—संतोष उर्फ डबलू निवासी ग्राम महेवा थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज, स्थाईपता गोलथरा रोड बैरियर के पास थाना सब्जीमंडी जनपद सहडोल मध्यप्रदेश।
- 2—मनीष उर्फ मोनू निवासी ब्यावर थाना साकेतनगर जनपद ब्यावर राजस्थान।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना को0जलालपुर

● 06 अभियुक्त गिरफ्तार

● चोरी की 16 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 10.07.2025 को थाना को0जलालपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर प्रा0वि0 हाजीपुर के पास से 06 अभियुक्तों 1—मो0सुहेल 2—सकील उर्फ चिल्लाऊ 3—मो0सैफ उर्फ पेटबाजी 4—आजाद उर्फ अज्जू उर्फ एजाज 5—मो0कौसर 6—मो0सुहेल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 16 मोटर साइकिल बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना को0जलालपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—मो0सुहेल निवासी साहबतारा थाना को0जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
- 2—सकील उर्फ चिल्लाऊ निवासी महमूदनगर थाना को0जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

- 3—मो०सैफ उर्फ पेटबाजी निवासी साहबतारा थाना को०जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
- 4—आजाद उर्फ अज्जू उर्फ एजाज निवासी साहबतारा थाना को०जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
- 5—मो०कौसर निवासी को०जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
- 6—मो०सुहेल निवासी साहबतारा थाना को०जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

बरामदगी

- 1—चोरी की 16 मोटर साइकिल।

➤ जनपद औरैया/थाना को०औरैया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को मृत्युदण्ड/आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना को०औरैया पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्तों को धारा 302/120बी/307 भादवि के अन्तर्गत मृत्युदण्ड व 02 लाख 50 हजार रुपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त आशीष उर्फ डैनी को आजीवन कारावास व 01 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद एटा/थाना को०देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा 09 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 59—59 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना को०देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/148/302/149/307/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—हरवीर 2—रामनिवास 3—प्रेमचन्द्र 4—रामनरेश 5—हाकिम 6—राकेश 7—रामवीर 8—रामभजन 9—कप्तान को आजीवन कारावास व 59—59 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद बिजनौर/थाना किरतपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 32—32 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद बिजनौर द्वारा थाना किरतपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307 भादवि सपठित धारा

3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट व 452/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—राजन 2—रिपुल को आजीवन कारावास व 32—32 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद बहराइच/थाना कैसरगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना कैसरगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अमरनाथ उर्फ पुत्तन को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
